

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

बिठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-348/2021

जीसीएमएस नं. 2021/316

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 23.07.2021

उनवान

दिनेश चन्द शर्मा पुत्र हजारी लाल शर्मा जाति आदिगौड ब्राह्मण निवासी
पाताली हनुमान के पास पाचना तहसील करौली जिला करौली

वादी

बनाम

बहादुर पुत्र मांग्या जाति जाटव निवासी सनेट रोड पटोंदा तहसील हिण्डौन
जिला करौली

प्रतिवादीगण-08

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान
काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था
उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित
नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई
गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित
नहीं। प्रकरण दिनांक 20.05.2022 में बहस चल रहा है। जिससे जाहिर
होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं
ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 348/21 दावा दिनेश बनाम बहादुर अदम
हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया
जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)